रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 107] दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2014/श्रावण 31, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 82
No. 107] DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2014/SHRAVANA 31, 1936 [N.C.T.D. No. 82

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 अगस्त, 2014

फा. सं. (72)/92-93/प्रशिक्षण खंड–II / 1136–1144.—इस विभाग के दिनांक 24 जून, 2010 की पूर्व–अधिसूचना सं. एफ. 20 (72)/92-93/प्रशिक्षण खंड / 467–499 के अधिक्रमण में महामहिम उप–राज्यपाल, दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् का तत्काल प्रभाव से निम्नवत् पुनर्गठन किया जाता है –

क्रम सं.	उच्च पदाधिकारी	परिषद् में पद
1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	प्रधान सचिव / सचिव प्र. एवं त. शिक्षा निदेशालय	उपाध्यक्ष, पदेन
	रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार के अधिकारी	
3	प्रधान सचिव / सचिव (वित्त)	सदस्य
4	प्रधान सचिव / सचिव (योजना)	सदस्य
5	विशेष सचिव / निदेशक (प्र.त. शि.नि.)	सदस्य

6	निदेशक (षिक्षा)	सदस्य
7	निदेशक (रोजगार)	सदस्य
8	आयुक्त (उद्योग)	सदस्य
9	कुलपति, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (भूतपूर्व दिल्ली इंजीनियरिंग कालेज)	सदस्य
10	निदेशक, नेताजी सुभाषचन्द्र प्रौद्योगिकी संस्थान (ने. सु. प्रौ.)	सदस्य
11	नियंत्रक, तकनीकी शिक्षा परिषद् , रा. रा. क्षे. दिल्ली सरकार	सदस्य सचिव
	उद्योग जगत से मनोनयन	
12	पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एवं इन्डस्ट्री से एक नामिती	सदस्य
13	भारतीय उद्योग परिसंघ (CII- उत्तरी क्षेत्र) दिल्ली से एक नामिती	सदस्य
	स्वशासी/स्थानीय निकाय (संस्था)/निजी सम्बद्ध संस्थाओं/व्यावसायिक संस्थाओं से मनोनयन	
14	प्रमुख मंडलाधीश अभियंता, सा.नि.वि.रा.रा.क्षे.स. दिल्ली सरकार	सदस्य
15	मुख्य प्रमुख अभियंता, दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम	सदस्य
16	अध्यक्ष, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
17	भारतीय मानक ब्यूरो का प्रतिनिधि	सदस्य
18	अभियंता संस्थान, दिल्ली इकाई का प्रतिनिधि	सदस्य
19	महाप्रबंधक, अधरूप प्रषिक्षण एवं विकास केन्द्र, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. ओखला औद्योगिक एस्टेट, नई दिल्ली	सदस्य
	तकनीकी विशेषज्ञ	
20	कुलसचिव, गुरू गोविन्द सिंह विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
21	निदेशक/(प्रशिक्षण), रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय या उनका प्रतिनिधि	सदस्य
22	सहायक निदेशक (प्रशिक्षण), प्रशिक्षण–एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, दिल्ली	सदस्य

परिषद् के कार्य

परिषद् के निम्नवत् कार्य होगें :–

1 परिषद्, केन्द्र सरकार या दिल्ली सरकार द्वारा अभियांत्रिकी, भवन–निर्माण, वस्त्र एवं चमड़ा व्यवसाय संबंधी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट की प्रदानगी से सम्बन्धित अथवा किसी दूसरे ट्रेड के सम्बन्ध में परिषद् के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाई गई राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् (एन सी वी टी) की नीतियों का निर्धारण एवं कार्यान्वन करेगी ।

2 परिषद्, राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा पाठ्यक्रम, उपकरण, प्रवेश–माप, पाठ्यक्रम की अवधि और प्रशिक्षण–पद्धति के सम्बन्ध में विनिर्धारित नीतियों और निर्णयों का कार्यान्वयन करेगी ।

3 परिषद् व्यवसायिक ट्रेड के लिए राज्य परीक्षा बोर्ड की स्थापना करेगी ।

4 परिषद् राज्य में स्थित प्रशिक्षण संस्थाओं/केन्द्रों के तदर्थ अथवा आवधिक निरीक्षण की व्यवस्था करेगी तथा राष्ट्रीय व्यवसायिक – प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित मानदण्डों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी ।

5 परिषद् राज्य व्यवसायिक – प्रशिक्षण परिषद को उसके कार्यों के सम्बन्ध में सलाह देने हेतु यथाश्वयक व्यक्ति/व्यक्तियों को सहयोजित करेगी ।

6 परिषद्, राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद द्वारा निर्धारित अर्हता के अनुसार कार्मिको की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी एवं ऐसे कार्मिक के अनुपलब्ध होने की विषेष स्थिति में अर्हता में छूट प्रदान करेगी तथा स्थिति–विशेष को अभिलेखित करेगी ।

7 परिषद् यह सुनिष्चित करेगी कि राज्य –व्यवसायिक प्रशिक्षण–परिषद् द्वारा परीक्षाओं का सुचारू आयोजन, राष्ट्रीय व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित ढंग से तथा मानदण्डों के अनुसार हों ।

8 परिषद् सफल अभ्यार्थियों के, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट को प्रति हस्ताक्षरित करेगी और जारी करेगी ।

9 परिषद् यथावश्यक अतिरिक्त प्रशिक्षण सुविधाओं के प्रावधान की अनुशंसा करेगी और आवश्यकतानुसार अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की तैयारी में आवश्यकतानुसार सहायता प्रदान करेगी ।

10 परिषद् सरकार को प्रशिक्षण से जुड़ी भिन्न–भिन्न योजनाओं पर होने वाले व्यय के संदर्भ में सुझाव देगी।

11 परिषद् समय–समय पर सरकार द्वारा सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

अरूण मिश्रा, अपर सचिव

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd August, 2014

F. No. (72)/92-93/Trg.Vol-II/1136-1144.—In supersession of earlier notification No. F.20(72)/92-93/Trg./Vol/467-499, dated 24/06/2010, the Hon'ble Lieutenant Governor of Delhi, is pleased to re-constitute the State Council for Vocational Training (SCVT) for the National Capital Territory of the Delhi as under, with immediate effect:-

S.No.	Dignitary	Status in the Council
1.	Chief Secretary	Chairperson
2.	Principal Secretary/Secretary, TTE	Vice-Chairperson Ex-Officio
	Official of Government of NCT of Delhi	
3.	Principal Secretary/Secy.(Finance)	Member
4.	Principal Secretary/Secy.(Planning)	Member
5.	Special Secretary/Director (TTE)	Member
6.	Director (Education)	Member
7.	Director (Employment)	Member
8.	Commissioner (Industries)	Member
9.	Vice-Chancellor, Delhi Technology University (Formerly known as Delhi College of Engg).	Member
10.	Director Netaji Subhash Chandra Institute of Technology (NSIT)	Member
11.	Controller, Board of Technical Education, GNCT of Delhi	Member Secretary
	Nominees of Industries	
12.	A nominee from PHD Chamber of Commerce & Industries	Member
13.	A Nominee of Confederation of Indian Industries (CII-Northern Region) Delhi	Member
	Nominees of Autonomous/Local Bodies /Private Affiliated Institutions Professional Institutions	
14.	Engineer-in-Chief, PWD, GNCT of Delhi	Member
15.	Chief Engineer, Delhi State Industrial & Infrastructure Development Corporation	Member
16.	Chairperson, New Delhi Municipal Corporation or representative	Member
17.	Representative from Bureau of Indian Standards	Member
18.	Representative from Institution of Engineers, Delhi Unit	Member
19.	General Manager Prototype Training & Development Centre of National Small Industries Corporation Limited, Okhla Industrial Estate, New Delhi	Member
	Technical Experts	
20.	Registrar, Guru Gobind Singh University, Delhi	Member
21.	Director of Training, Directorate General of Employment & Training (DGE&T) or representative	Member
22.	Assistant Director (Training), Department of Training & Technical Education, Delhi	Member

Functions of Council

The Council will perform the following functions:-

1. The Council will decide and implement the policies of the National Council for Vocational Training (NCVT) with regard to the award of National Trade Certificates in Engineering, Building, Textile and Leather Trades and any other similar trades as may be brought within its scope by the Central Government or Government of Delhi.

2. The Council will implement the decisions of and carry out the policies laid down by the National Council for Vocational Training in respect of Syllabus, Equipment, Scale of accommodation, duration of courses and method of training.

3. The Council will establish State Board Examinations in vocational trades.

4. The Council will arrange for adhoc or periodical inspection of the training Institute/Centres in the State and ensure that the standards prescribed by the National Council for Vocational Training are being followed.
5. The Council will co-opt, if necessary any person or persons to advice the State Council for Vocational Training in connection with its work.
6. The Council will ensure that the staff is employed according to the qualification prescribed by the National Council for Vocational training and to relax qualification in special circumstances to be recorded, for the trades where such staff is not easily available.
7. The Council will ensure that the examinations are conducted by the State Council for Vocational Training according to the standards and the manner prescribed by the National Council for Vocational Training.
8. The Council will countersign and issue the National Trade Certificates to the successful candidates.
9.The Council will recommend the provision of additional training facilities, wherever necessary, and render such assistance in the setting up of additional training programmes as may be necessary.
10. The Council will advise the Government regarding expenditure on different training scheme.
11. The Council will perform any other functions as may be entrusted to it by the Government from time to time.

By Order and in the Name of the Lt. Governor, NCT of Delhi

ARUN MISHRA, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.